न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2011 (अवमानना प्रार्थना पत्र)

रामलाल पिता देवा जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... प्रार्थी/याची

बनाम

1. मैसर्स मीनाक्षी प्रोपर्टी, प्रोप्राईटर शान्तिलाल पिता गमेरलाल जी जैन, निवासी 1, रेती स्टैण्ड, उदयपुर (राज.)
2. कमेलश पिता शान्तिलाल जी जैन, निवासी सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. विजयलाल पिता गमेरलाल जी जैन, पार्टनर जैन मोटर पार्ट्स, निवासी सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए
सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री के.एल. चोर्डिया अभिभाषक प्रार्थी/याची
2– श्री दशरथ राजपुरोहित अभि. रे. सं. 1 व 2
3– श्री मनीष मोगरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 3

———::———

निर्णय **दिनांक 04–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याची द्वारा यह अवमानना याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 225/2009 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16–06–2009 को ग्राम मनवाखेड़ा की आराजी नंबर 2084 से 2088, 2092, 2050 से 2058 बाबत् मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे, फिर भी विपक्षीगण द्वारा दिनांक 18–04–2011 को भूमि में प्रवेश कर 400 फिट लम्बे व 4 फिट ऊंची बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर लिया। उक्त निर्माण को रोके जाने हेतु

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किये जाने पर भी विपक्षीगण निर्माण कार्य नहीं रोका गया तथा जबरन जे.सी.बी. से जमीन खोदकर नींव बनायी एवं मारोमार तरीके से पत्थरों के ढेर कर दिये एवं लगभग 400 फिट लम्बे व 4 फिट ऊंची दीवार विपक्षीगण द्वारा बना ली गयी। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना कर बदनियती से उक्त कृत्य किया गया है, जिसके लिए विपक्षीगण व्यक्तिगत एवं सामुहिक रूप से जिम्मेदार हैं। अतएवं विपक्षीगण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाकर सख्त से सख्त सजा प्रदान की जावे, क्योंकि उनके द्वारा न्यायालय स्थगन के बावजूद मौके की स्थिति में रद्दोबदल किया गया है।

प्रकरण में उक्त आवेदन का जवाब रविपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा देते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा 400 फिट लम्बे व 4 फिट ऊंची दीवार बनाया जाना एवं निर्माण किये जाने के तथ्य पूर्णतया अस्वीकार हैं। प्रार्थी द्वारा जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं वे विपक्षी संख्या 2 के स्वामित्व की आराजीयात के नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व की भूमि के निकट स्थित बिलानाम भूमि के हैं, जिनका वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। विपक्षीगण द्वारा किसी प्रकार से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की गयी है, बल्कि आप न्यायालय के आदेश दिनांक 16–06–2009 की पालना विपक्षीगण उत्तरदाता द्वारा आज दिनांक तक की जा रही है। प्रार्थीगण ने मिथ्या कथन अंकित करते हुए उक्त आवेदन पेश किया है। विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि विपक्षी संख्या 2 के स्वामित्व की भूमि जो रेलवे पटरी के पीछे यानि दक्षिण दिशा की ओर मौजूद है, उसमें प्रारम्भ से ही खेती होती आ रही है तथा चारों तरफ कांटो व थुअर की बाड़ बनी हुई है। प्रार्थीगण येनकेन प्रकारेण विपक्षीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल कर मौके पर काबिज होना चाहते हैं तथा अनावश्यक मारपीट भी करने पर उतारू हैं।

विपक्षी संख्या 3 द्वारा भी इसी प्रकार का खण्डन का जवाब देते हुए विवादित भूमि पर किसी प्रकार की दीवार नहीं बनी होना वर्णित किया है।

प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने के बाद याची द्वारा साक्ष्य में याची रामलाल स्वयं के तथा भीखा भाई के बयान करवाये गये तथा मौके के फोटोग्राफ्स एवं न्यायालय आदेशों की प्रतिलिपि पेश की। इसी

प्रकार विपक्षीगण की ओर से कमलेश के बयान करवाये गये तथा मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गये।

→ हमारे द्वारा उभयपक्षों की प्लीडिंग्स तथा साक्ष्य का अवलोकन कर पत्रावली का अध्ययन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में रामलाल द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–06–2009 को प्रस्तुत की गयी तथा उसी दिनांक को इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 मीनाक्षी प्रोपर्टी को तामिल दिनांक 04–11–2009 को होना सुस्पष्ट है, प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 व 3 मूल अपील में किस क्रमांक पर रेस्पोन्डेन्ट हैं तथा उन्हें तामिल कब हुई है (हालांकि विपक्षीगण द्वारा तामिल नहीं होने का कोई उजर नहीं उठाया गया है)। प्रकरण में मूल विवाद का प्रश्न यह है कि विवादित आराजियात में ''आया कि कोई दीवार यथास्थिति का आदेश होने के बावजदू विपक्षीगण द्वारा बनायी गयी अथवा नहीं।'' प्रकरण में विपक्षीगण ने यह मना नहीं किया है कि उन्हें यथास्थिति के आदेश की जानकारी नहीं हो, अतएवं अब प्रश्न यही रहता है कि क्या विवादित भूमि में विपक्षीगण ने दीवार बनायी अथवा नहीं। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा यह सुस्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि दीवार उनके द्वारा नहीं बनायी गयी है तथा दीवार जो बनायी गयी है वह विवादित आराजियात में नहीं है। प्रकरण में भूमि सहखातेदारी की होना सुस्पष्ट है तथा सहखातेदारी की भूमि में किसी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा यथास्थिति के आदेश के बावजूद दीवार बनाये जाने का याची का कथन है, परन्तु उक्त दीवार विवादित आराजियात में ही बनायी गयी है, इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह आंकलन किया जा सके कि दीवार विवादित आराजियात में ही बनी हो, जबकि याची द्वारा इस आरोप को संदेह से परे सिद्ध कराया जाना था कि दीवार जो मौके पर स्थित है विवादित आराजियात में ही बनी है।

प्रकरण में विवादित आराजियात में कोई दीवार बनाया जाना रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण मना करते हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त दीवार विवादित आराजियात में ही बनाया जाना साबित कराये जाने के लिए याची द्वारा जो साक्ष्य पेश की गयी है उससे विवादित आराजियात में ही उक्त दीवार बनी

होना प्रमाणित नहीं होता है। जहां तक याची की साक्ष्य का प्रश्न है, स्वयं याची रामलाल ने साक्ष्य में यह कथन करता है कि ''सन् 2009 में स्थगन हुआ उस समय के कोई फोटोग्राम मौके का पेश नहीं किया। असखुद कहा कि खेती करता था। सभी आराजियात में मैं खेती करता था। असखुद कहा कि हम करते थे। प्रदर्श 2 सभी आराजियात का फोटो है, फोटो से किसी भी आराजियात प्रकट नहीं होते।'' इससे स्पष्ट नहीं होता है कि दीवार विवादित आराजियात पर ही बनी है तथा विपक्षीगण द्वारा ही बनायी गयी हो। इसी प्रकार याची की स्वतंत्र साक्ष्य भीखा भाई बयानों में यह कथन करता है कि ''मैं रामलाल जी भूमि के आराजी नंबर नहीं जानता। रामलाल जी का कब्जा कौन सी आराजियात पर है, नहीं जानता। मुझे नहीं पता रामलाल जी ने क्या कार्यवाही की। मैं अनपढ़ हूॅ केवल हस्ताक्षर करना जानता हूॅ। मौके के फोटोग्राफ मेरे सामने नहीं खींचे गये। मौके पर कौन व्यक्ति काम करता था, मुझे नहीं पता। 15–20 मजदूर जे.सी.बी. एवं स्वयं रामजी मौजूद थे। यह काम किस आराजियात पर चल रहा था, पता नहीं।'' अर्थात जो प्रार्थी की स्वतंत्र साक्ष्य है, उसके द्वारा विवादित आराजियात पर दीवार बनी होना तथा दीवार विपक्षीगण द्वारा ही बनाया जाना प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में किसी भी याची द्वारा संदेह से परे अवमानना को साबिक करवाया जाना वांछनीय होता है। दीवार विवादित आराजियात में ही बनी हो तथा विपक्षीगण द्वारा ही बनायी गयी हो, ऐसी कोई साक्ष्य याची द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतएवं प्रार्थी/याची द्वारा पेश शुदा अवमानना याचिका प्रमाणित नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर